



# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 462/19-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा - विक्रेता  
1. रीतामुनी तिडू वो 2. राजेश भेंगरा - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
26.11.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक 1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा दोनों पिता पुसा भेंगरा ग्राम-डोडमा, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने 1. रीता मुनी तिडू पित श्री राजेश भेंगरा वो 2. राजेश भेंगरा पिता स्व0 इमानुएल भेंगरा दोनों ग्राम-कोकेंया, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="279 761 1364 862"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डोडमा</td> <td>10</td> <td>54</td> <td>928</td> <td>0.22</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0492922083 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 417 दिनांक 03.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम चामु महतो वगैराह है। पंजी II के अनुसार चामु महतो वगैराह के नाम भूमि का रकवा 24.22 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 6.05 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 5820.00(पांच हजार आठ सौ बीस) रू0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 5.83 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. चामु भेंगरा वो 2. राली भेंगरा दोनों पिता पुसा भेंगरा को 1. रीता मुनी तिडू पित श्री राजेश भेंगरा वो 2. राजेश भेंगरा पिता स्व0 इमानुएल भेंगरा के साथ ग्राम डोडमा के खाता सं0 54 खेसरा संख्या 928 कुल रकबा 0.22 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 5820.00(पांच हजार आठ सौ बीस) रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">               भूमि सुधार उप समाहर्ता,              खूँटी।         </p> <p style="text-align: center;">               भूमि सुधार उप समाहर्ता,              खूँटी।         </p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)	डोडमा	10	54	928	0.22	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)								
डोडमा	10	54	928	0.22								